अधिकारों का वर्गीकरण Classification of Rights

साधारणतया अधिकार दो प्रकार के होते है। नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार।

1. नैतिक अधिकार - ये वे अधिकार होते हैं जिनका सम्बन्ध मानव के नैतिक आचरण से होता है। अनेक विद्वानों के द्वारा इन्हें अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि वे अधिकार राज्य द्वारा रक्षित नहीं होते हैं।

2. कानूनी अधिकार - ये वे अधिकार हैं जिनकी व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती है और जिनका उल्लंघन कानून से दण्डनीय होता है। कानून का संरक्षण प्राप्त होने के कारण इन अधिकारों को लागू करने के लिए राज्य द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है। लीकॉक के शब्दों में, कानूनी अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो एक नागरिक को अन्य नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं तथा जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति द्वारा प्रदान किए जाते है और रक्षित होते हैं।

कानूनी अधिकार के भेद -

(A) सामाजिक या नागरिक अधिकार (B) राजनीतिक अधिकार

(A) सामाजिक या नागरिक अधिकार - प्रमुख सामाजिक या नागरिक अधिकार निम्न है।

(i) जीवन का अधिकार - जीवन के अधिकार का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है और राज्य इस बात की व्यवस्था करेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति या राज्य व्यक्ति के जीवन का अन्त न कर सके। जीवन के अधिकार में यह बात भी सम्मिलित है कि कोई व्यक्ति स्वयं अपने जीवन का भी अन्त नहीं कर सकता है। अतः आत्महत्या एक दण्डनीय अपराध है। सेण्ट थॉमस एक्वीनास के शब्दों में, आत्महत्या एक अपने प्रति, समाज के प्रति और ईश्वर के प्रति एक अपराध है।

(ii) समानता का अधिकार - इसका तात्पर्य यह है कि जाति, धर्म व आर्थिक स्थिति के भेद के बिना सभी व्यक्तियों को अपने जीवन का विकास करने के लिए समान सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए। समानता का अधिकार प्रजातन्त्र की आत्मा है।

इसके निम्न भेद है।

Scanned with CamScanner

(a) राजनीतिक समानता का अधिकार - इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यतानुसार बिना किसी पक्षपात के देश के शासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। इस राजनीतिक समानता की प्राप्ति प्रजातन्त्रात्मक शासन की स्थापना और वयस्क मताधिकार की व्यवस्था द्वारा ही सम्भव है।

(b) सामाजिक समानता का अधिकार - इसके अन्तर्गत समाज में धर्म, जाति, भाषा, सम्पत्ति, वर्ण या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक समानता की स्थापना हेतु भारतीय संविधान के 17 वें अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है।

(iii) स्वतन्त्रता का अधिकार - इस अधिकार के बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा समाज का विकास संभव नहीं है। स्वतन्त्रता का तात्पर्य उच्छृंखलता या नियन्त्रणहीनता न होकर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पूर्ण अवसरों की प्राप्ति है।

स्वतन्त्रता के अधिकार के भेद -

(a) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार - मिल के शब्दों में, स्वयं अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति सम्प्रभु होता है। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अन्तर्गत ही यह बात भी सम्मिलित है कि कानून का उल्लंघन किये बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और न्यायालय द्वारा अभियोग की पुष्टि के बिना उसे बन्दी नहीं बनाया जा सकता है।

(b) विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार - प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार विचार रखने और भाषण, लेख, आदि के माध्यम से इन विचारों को व्यक्त करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अन्तर्गत ही सम्मति देने, आलोचना करने, लेखन की स्वतन्त्रता भी सम्मिलित है।

(c) अन्तःकरण की स्वतन्त्रता का अधिकार - इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

Scanned with CamScanner

(4) समुदाय निर्माण की स्वतन्त्रता - इसके अन्तर्गत व्यक्ति को अपने समान विचार वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समुदायों का निर्माण करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

(5) नैतिक स्वतन्त्रता - नैतिक स्वतन्त्रता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने विवेक और आत्मा के आदेशानुसार बिना किसी अनुचित लोभ-लालच के कार्य कर सके।

(iv) सम्पत्ति का अधिकार - सम्पत्ति के अधिकार का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने द्वारा कमाए गये धन को चाहे तो आज की आवश्यकताओं पर खर्च कर सकता है या अर्जित करके रख सकता है और धन, जमीन या जायदाद के रूप में व्यक्ति द्वारा रक्षित इस सम्पत्ति को बिना मुआवजा दिये उससे छीना नहीं जा सकता है।

(v) रोजगार का अधिकार

(vi) शिक्षा का अधिकार

(vii) परिवार का अधिकार

B. राजनीतिक अधिकार - इसका तात्पर्य उन अधिकारों से है जो व्यक्ति के राजनीतिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक होते है और जिनके माध्यम से व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन प्रबन्ध में भाग लेते है। सामान्यतया एक प्रजातन्त्रात्मक राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को निम्न राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते है।

(i) मत देने का अधिकार

(ii) निर्वाचित होने का अधिकार - सभी नागरिकों को जनता के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार होता है।

(iii) सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार

(iv) आवेदन पत्र और सम्मति देने का अधिकार - नागरिकों को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कार्यपालिका या व्यवस्थापिका अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए साथ ही शासन की आलोचना का अधिकार भी होना चाहिए। पुनः सभी राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत ही की जा सकती है।

Avinash

Scanned with CamScanner